

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 2005/वैशाख 3, 1927

No. 169]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 2005/VAISAKHA 3, 1927

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 245(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सा.का.नि. 902 (अ), दिनांक 21-11-2003 में निम्नलिखित परिवर्धन करती हैं :—

टिप्पणी: — मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 788 (अ) दिनांक 17-10-2000 के जिर्म प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 902 (अ), दिनांक 21-11-2003 के जिरए संशोधित किया गया।

[फा. सं. 9(2)/2002-ईसी]

एम. माधवन नाम्बियार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2005

G.S.R. 245(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following additions in the G.S.R. 902(E), dated 21-11-2003 :—

Note: —The Principal Rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. No. 788(E), dated 17-10-2000 and lastly amended vide G.S.R. No. 902(E), dated 21-11-2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i).

[F. No. 9(2)/2002-EC]

M. MADHAVAN NAMBIAR, Addl. Secy.

1296 GI/2005